NTPC LIMITED

(A Government of India Enterprise)

SINGRAULI SUPER THERMAL POWER STATION PO: SHAKTINAGAR, DIST.: SONEBHADRA (UP) 231222

Invitation Of Applications for Expression of Interest (EOI)

Ref. No.: SSTPS/C&M/2023-24/EOI-01

NTPC Limited-Singrauli Super Thermal Power Station, invites application through this EoI for Empanelment of Project Affected Persons/ Project Affected Families (PAPs/ PAFs) of NTPC Singrauli for three years for the following work:

Sl.no.	Ref. no	Description
01	SSTPS/C&M/2023-24/EOI-01	Hiring of vehicles (i.e. Closed A/C Bolero & AC Car) as per requirement at NTPC Shaktinagar

Important Dates & Time

Particulars	Date & Time
Date of Publication of EOI	12.03.2024 at 1100 Hrs
EOI Document Download	From 12.03.2024 at 1100 Hrs to 02.04.2024 Time 1500 Hrs
Last Date of Submission of application	02.04.2024 Time 1530 Hrs
Date of opening of EoI response	03.04.2024 Time 1530 Hrs

The submission of application shall be only through GePNIC portal. For detailed Expression of Interest (EOI), please visit https://ntpctender.ntpc.co.in/ or NTPC-E-procurement (GePNIC) portal or may contact office at HOD (C&M)/Sr. Manager (C&M), NTPC Limited, Singrauli STPS, PO. Shaktinagar, Dist- Sonebhadra (U.P) 231222 Email: vinayakbd@ntpc.co.in./ vikrampratap@ntpc.co.in

All further corrigendum / modification / updates for the above EOI will be published on NTPC online portal only. Interested PAPs/PAFs are requested to visit the website regularly for tender notices to update themselves.

एनटीपीसी NTPC   सिंगरौली Singrauli

<u>एनटीपीसी लिमिटेड</u>

<u>(भारत सरकार का उपक्रम)</u>

<u>सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, डाकघर: शक्तिनगर, जिला: सोनभद्र (उत्तर प्रदेश), 231222</u>

रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए आवेदन आमंत्रित करना

संदर्भ संख्या: एसएसटीपीएस / सीएंडएम / 2023-24 / ईओआई-01

एनटीपीसी लिमिटेड-सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, निम्नलिखित कार्य के लिए तीन वर्षों के लिए एनटीपीसी सिंगरौली के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएपी/पीएएफ) के पैनल में शामिल होने के लिए इस ईओआई के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है:

क्रम सं.	**संदर्भ संख्या**	**विवरण**
01	**एसएसटीपीएस / सीएंडएम / 2023-24 / ईओआई-01**	एनटीपीसी शक्तिनगर में आवश्यकता के अनुसार वाहनों (अर्थात् बंद ए/सी बोलेरो और एसी कार) की हायरिंग

महत्वपूर्ण तिथि और समय

विवरण	**तिथि और समय**
ईओआई के प्रकाशन की तारीख	12.03.2024 को पूर्वाहन 11:00 बजे
ईओआई दस्तावेज डाउनलोड	12.03.2024 को पूर्वाहन 11:00 बजे से 02.04.2024 अपराहन 1500 बजे
आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	02.04.2024 अपराहन 15:30 बजे
ईओआई प्रत्युत्तर खोलने की तारीख	03.04.2024 अपराहन 15:30 बजे

आवेदन केवल GePNIC पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। विस्तृत रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए, कृपया https://ntpctender.ntpc.co.in/ या एनटीपीसी-ई-प्रोक्योरमेंट (GePNIC) पोर्टल पर जाएं या कार्यालय में विभागाध्यक्ष (सी एंड एम)/वरिष्ठ प्रबंधक (सी एंड एम) कार्यालय, एनटीपीसी लिमिटेड, सिंगरौली एसटीपीएस, डाकघर- शक्तिनगर, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.) 231222 ईमेल: vinayakbd@ntpc.co.in / vikrampratap@ntpc.co.in से संपर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त ईओआई के लिए आगे के सभी शुद्धिपत्र/संशोधन/नवीनतम जानकारी केवल एनटीपीसी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे। इच्छुक पीएपी/पीएएफ से अनुरोध है कि वे स्वयं को नई जानकारी से अवगत कराने के लिए निविदा सूचनाओं के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखें।

NTPC LTD

SSTPS- Shaktinagar

Ref. No.: SSTPS/C&M/2023-24/EOI-01

Sub: Expression of Interest (EOI) for Empanelment of PAP/PAF of NTPC Singrauli for the work of "Hiring of vehicles (i.e. Closed A/C Bolero & AC Car) as per requirement at NTPC Shaktinagar"

Job: Hiring of vehicles as per requirements to be deployed at NTPC Singrauli.

A. Brief Scope of work:

The PAF shall provide Closed A/C Bolero, AC Car etc. for 12/24 hrs duty at NTPC Singrauli.

Period of empanelment shall be for Three (03) Years after approval by NTPC management and issue of notification of empanelment, if required, NTPC may extend the validity of the period of empanelment.

Under this Empanelment only vehicles mentioned above shall be covered.

Brief scope of work under the deployment of vehicles shall be for uses within the plant, township, other neighboring stations within 100 KMs of NTPC Singrauli (MP & UP areas). Sometimes the vehicles may be deployed for outstation duties also with the approval of competent authority of NTPC (HOP(S)).

Sl. No.	Name of the requirement	Model/Brand	Make	Year of Manufacturing/Registration	Applicable Rates and Terms and conditions
1.	Hiring of Closed A/C Jeep	Bolero (AC)	Mahindra & Mahindra Ltd	should not be older than one year from the date of notification of consent for award of vehicle	Refer Annexure-I
2.	Hiring of CAR	Swift Dzire Tour (s)	Maruti,	should not be older than one year from the date of notification of consent for award of vehicle	Refer Annexure-II
		Amaze	Honda		

The applicant shall provide his/her consent in the EOI application for willingness to provide particular vehicles as mentioned above with his/her application. There will be no subsequent change once consent is given in the Application of EoI. The applicant who has not given consent for a particular type of vehicle shall not be considered for award of that particular vehicle.

The eligible PAF of SSTPS Singrauli shall have to participate through his/her application under this EOI with complete document as mentioned in the EOI document. Applicant who submits his/her application within the scheduled date of submission through GePNIC portal under this EOI, only his/her application shall be considered for evaluation and based on evaluation, his/her application shall be considered for empanelment.

The applicant's Name, Date of Birth, Father's/Husband's Name shall match in all requisite supporting documents, as asked in EOI Document.

The declaration in the application shall be appropriately given by the applicant, the declaration made in application shall not be allowed for any change after submission of EOI application till the empanelment period.

Last date of submission of the application through GePNIC portal is 02.04.2024 Time 1530 Hrs.

During execution of the work, if the contract is awarded to the empanelled PAF applicant, he/she has to comply the applicable NTPC GCC, SCC and Scope of work, BOQ, Terms and conditions for the particular type of Vehicle mentioned above.

The applicable Rates and Terms and conditions for particular type of Vehicle are provided along with the EOI document for reference. (Annexure-I and Annexure-II)

B. Criteria for Empanelment: The applicant who is PAP/PAF of NTPC Singrauli is only eligible for empanelment for the work of hiring of vehicles and shall submit the requisite supporting documents in respect of his/her fulfilment of PAP/PAF criteria along with the application. **Details and document required for establishment of PAP/PAF status of applicant:**

1. Name of the applicant.
2. The relationship of the applicant with the displaced PAP of NTPC SSTPS, Shaktinagar. To establish relationship with the PAP, the applicant is required to submit along with his/her EOI application, a copy of Family Tree certified by Tehsildar as proof.
3. Details of land/ homestead in the name of PAP/PAF which was acquired by NTPC Singrauli (i.e. name of village the land/house was located, area of the land in acreage acquired by NTPC, year of acquisition, land record from revenue department, owner of the land at time of acquisition by NTPC etc.)
4. A copy of the evidence available regarding the acquisition.
5. Only individual PAP/PAF are eligible for empanelment. Any application submitted by samiti/group of individuals of PAP/ PAF shall not be considered for the evaluation and empanelment for hiring of vehicles.
6. In case, applicant is the dependent of current NTPC employee who is also a PAF of NTPC Singrauli, such applicant and his/her dependents may not be considered for empanelment.

The declaration and supporting documents as mentioned above and submitted with his/her application by PAP/PAF against the above Expression of Interest shall be verified with the available records in NTPC. Based on verification of the above documents, NTPC will evaluate the status of PAP/PAF for further consideration in Priority list.

C. Criteria for finalizing Priority list of PAP/PAF after establishment of PAP/PAF as mentioned above in clause B:

Preference will be given for PAF self-driven vehicles for deployment. If, PAF self-driven vehicles not available, then only option of Driver with Vehicle shall be opted. The PAP/PAF already established as per criteria above mentioned clause B, shall be further evaluated for finalization of the priority list as per the criteria mentioned hereunder:

i. (Land + Homestead) oustees assumed as Category-A would be considered at 1st priority (weightage on the basis of acreage of land acquired).

ii. Homestead oustees assumed as Category-B would be considered at 2nd priority and

iii. Land oustees assumed as Category-C would be considered at 3rd priority (weightage on the basis of acreage of land acquired).

iv. Vehicle applicant who is not engaged through direct / indirect employment by the project/station will be preferred for the deployment of vehicle, subject to his/her as priority mentioned above at i, ii & iii.

v. However, if PAP/PAF falls in same category, the preference shall be as per the date of birth of vehicle owner according to PAN/DL/Aadhar card/10th certificate, older date of birth (oldest owner) shall be given first preference.

The applicant who is already engaged in running contract, his/her names shall be considered for award of any contract against subject empanelment only after expiry of the existing running contract.

vi. This empanelment shall be for three (03) years from the date of approval of empanelment by NTPC management and on issuance of notification of empanelment, to meet the requirements of the hiring of vehicle at Station/Projects during the empanelment period. If required, NTPC may extend the validity of the period of empanelment.

vii. The PAF who has been awarded a contract for hiring of vehicle at the time of requirement shall be given least priority.

viii. In case, applicant is NTPC Ex-employee and PAF of NTPC Singrauli, such applicant and his/her dependents, may be considered for empanelment and also considered in the Priority list of PAFs.

ix. In case, applicant is the dependent of current NTPC employee who is also a PAF of NTPC Singrauli, such applicant and his/her dependents may not be considered in the Priority list of PAF.

x. In case, more than one PAF and his/her dependent applicants of a Land and/or homestead outsees have submitted their application in the above empanelment, the older applicants (based on age factor), shall be considered ahead in the PAF Priority List.

xi. For cases, where more than one PAF & his/her dependent applicants from same Land and/or homestead outsees have enlisted for Hiring of vehicles against the above EOI, in such case, first, name of the older most PAF from a Land and/or homestead outsees of the same family shall be considered in the PAF priority list. Subsequently, name of the second most elder member of their family member who has applied under the EOI shall be considered in the priority list and so on.

D. Selection criteria of empanelled PAP/PAF at the time of particular requirement for award:

As per the requirement of NTPC, the empanelled PAF shall be notified as per his/her priority for deployment of vehicle to give his/her consent. A time of 07 working days shall be given to the PAP/PAF as per the priority list to furnish his/her confirmation to provide the vehicle through email by C&M Department, failing to provide the above confirmation till the deadline provided, the next PAP will be considered for his/her confirmation for processing award. The above process will continue subsequently till the confirmation received and award placed for the particular vehicle requirement. The PAF/PAP who has not given his/her consent in due time, shall not be considered for any other vehicle hiring requirement under this empanelment.

Following selection criteria shall be applicable for the empanelled PAF for award at the time of requirement:

i. Only empanelled PAF/PAP under this EoI shall be considered for award of hiring of vehicle during the period of empanelment.
ii. The empanelled PAF/PAP shall be given priority for a particular requirement as per the priority list and as per the consent provided in the EOI application for willingness to provide particular vehicles
iii. The PAP/PAF shall be considered for award in case of fulfilment of all the selection and award criteria mentioned in this clause D.

iv. The applicant who has not given consent for a particular type shall not be considered for award of that type of vehicle.

v. If, an enlisted applicant has awarded a vehicle contract as per PAF priority list for one particular type of vehicle as per requirement of NTPC, in such case, for other vehicle requirement, his eligibility shall be only after execution of the present vehicle contract awarded to him and as per the eligibility in the priority list.

vi. The award shall be given as per the priority list of empanelment. Only one empanelled PAF shall be considered for award from a family of PAF as per priority list.

vii. An undertaking is required to be submitted by the eligible applicants before award of contract that they are not getting any other economic opportunity at a time from NTPC Singrauli and in case, it is found in future that the applicant is getting dual benefit during the contract period, the contract awarded for vehicle hiring may be terminated.

viii. If, an enlisted applicant has awarded a vehicle contract as per PAF priority list, non-execution of contract shall be dealt as per the NTPC banning policy available on NTPC Website (https://ntpctender.ntpc.co.in).

ix. If a PAF has already awarded long term vehicle contract either in this empanelment or through previous tendering process and vehicle contract executed during empanelment period, his/her priority shall be only after the priority of the PAFs, who has not been awarded long term vehicle contracts.

x. Preference will be given for PAF self-driven vehicles for deployment. If, PAF self-driven vehicles not available, then only option of Driver with Vehicle shall be opted.

Annexure-I

Applicable Rates and Terms and conditions:

Applicable Rates (Rs.) is as under: -

Year	**Case 1: Vehicles driven by PAF members**		**Case 2: Vehicles not driven by PAF members**		**Case 3: Vehicle which is driven by PAF and Driver**	
	Rate for 12 hrs Duty (Rs.)	**Rate for 24 Hrs (Rs.)**	**Rate for 12 hrs Duty (Rs.)**	**Rate for 24 Hrs (Rs.)**	**Rate for 12 hrs Duty (Rs.)**	**Rate for 24 Hrs (Rs.)**
1st Year	1088	1783	1,468	2551		2171
2nd year	1110	1840	1,509	2647		2249
3rd year	1135	1901	1,554	2749		2330
4th Year	1162	1966	1,602	2857		2417
5th Year	1191	2036	1,653	2972		2510

Other Terms & conditions: -

- Deployed Car shall be AC Car, Petrol version. Model of the vehicle shall not be older than 1 year from the date of notification of consent for award of vehicle.
- Vehicle deployed shall be owned by PAF and commercially registered.
- Comprehensive Commercial Insurance of vehicle covering the driver, Taxi Permit for new vehicle, Pollution Certificate charge, Fitness Certificate charge shall be paid by NTPC as per actual on production of receipts from 2nd year onwards. However, PAF must pay the insurance premium charges first and claim will be settled in two instalments (after expiry of 6 months). No insurance premium shall be payable in the first year of hiring. Every permit required for the vehicle must be taken on time and any penalty levied by the authorities due to delay in payment will not be paid by NTPC.

- Cost of petrol will be reimbursed at the prevailing rate of petrol, based on one litre per 16 km run for Car (AC). Petrol rates shall be paid on the basis of average rate prevalent at Shaktinagar of the billing month on certification of EIC
- No SD will be deducted on fuel reimbursement charges as statutory reimbursements.
- OT charges (at the double the rate of the hourly minimum wages) shall be payable for extra hour(s) of deployment in case of 12 hrs duty vehicles, subject to certification by the EIC. No OT charges are applicable in case of 24 hrs duty vehicles.
- In case of outstation duties, extra charges of Rs.200 per trip shall be paid extra beyond 100 km one way with or without Night Halt.
- Night Halt Charges @ Rs.200 per night shall be paid extra for 12 hrs duty vehicles, subject to certification by the EIC. In Such case OT charges shall not be payable. Night Halt Charges shall not be applicable in case of 24 hrs duty vehicles.
- One paid off in a month for vehicle deployed on 24 hrs basis and one day in two months for vehicle deployed on 12 hrs basis shall be allowed for servicing of the vehicle on advance information to EIC, as paid off day.
- The PAFs will give an indemnity bond, indemnifying NTPC of any liabilities arising out of the execution of the contract.
- In case of Vehicles driven by drivers deployed by PAFs, PAFs must submit necessary documents towards HR clearance (viz. proof of payment of wage, statutory benefits etc.

Annexure-II

Applicable Rates and Terms and conditions:

The Applicable Rates (Rs.) is as under: -

Year	Case 1 : Vehicles driven by PAF members		Case 2 : Vehicles not driven by PAF members		Case 3: Vehicle which is driven by PAF and Driver		Rate Validity Up-To
	Rate for 12 hrs Duty (Rs.)	**Rate for 24 Hrs Duty (Rs.)**	**Rate for 12 hrs Duty (Rs.)**	**Rate for 24 Hrs Duty (Rs.)**	**Rate for 12 hrs Duty (Rs.)**	**Rate for 24 Hrs Duty (Rs.)**	
1st Year	1248	1943	1566	2638		2271	31.03.2024
2nd year	1265	1995	1598	2725		2339	31.03.2025
3rd year	1284	2051	1634	2817		2413	31.03.2026
4th Year	1306	2110	1673	2916		2491	31.03.2027

5th Year	1330	2175	1715	3021		2575	31.03.2028

Other Terms & Conditions: -

1. Deployed closed Bolero shall be with AC, diesel operated, and model of the vehicle should not be older than one year from the date of notification of consent for award of vehicle.
2. All vehicles deployed shall be owned by PAF with first and commercially registered with concerned authority.
3. Comprehensive Commercial Insurance of vehicle covering the driver, Taxi Permit for new vehicle, Pollution Certificate charge, Fitness Certificate charge shall be paid by NTPC as per actual on production of receipts from 2nd year onwards. However, PAF must pay the insurance premium charges first and claim will be settled in two instalments (after expiry of 6 months). No insurance premium shall be payable in the first year of hiring. Every permit required for the vehicle must be taken on time and any penalty levied by the authorities due to delay in payment will not be paid by NTPC. Driver should have commercial licence.
4. Cost of fuel (diesel) shall be arranged by the vehicle owner and the same will be reimbursed at the prevailing rate based on one litre per 12 km run. Diesel rates shall be paid on the basis of average rate prevalent at Shaktinagar of the billing month on certification of EIC.
5. Vehicle deployed should be having minimum these Accessories (front and rear bull bar, seat cover, wheel cover, matting, door wisor, spoiler, sky rack and body cover).
6. No SD will be deducted on fuel reimbursement charges as statutory reimbursements.
7. Over Time (OT) charges at the rate of double of the rate of the hourly minimum wages shall be payable for extra hour (s) of deployment in case of 12 hours duty vehicles, subject to certification by the EIC. No over time charges are applicable in case of 24 hours duty vehicles.
8. In case of outstation duties, extra charges of Rs. 200 per trip beyond 100 km one way with or without Night Halt. Vehicle shall be used for outstation duty with the approval of the Competent Authority of NTPC, as per previous practice.
9. Night halt charges @ Rs. 200 per night shall be paid extra for 12 hours duty vehicles subject to certification by the EIC. In Such case over time charges shall not be payable. Night halt charges shall not be applicable in case of 24 hours duty vehicles.
10. For vehicles deployed on 24 hours basis, the owner must deploy 02 (two) drivers for interval of 12 hours for driving the vehicle.
11. One paid off in a month for vehicle deployed on 24 hours basis and one day in two months for vehicle deployed on 12 hours basis shall be allowed for servicing of the vehicle on advance intimation to EIC, as paid off day.
12. The PAFs will give an indemnity bond, indemnifying NTPC of any liabilities arising out of the execution of the contract.
13. Working hours in a day shall be from 8:00 hrs to 20:00 hrs for 12hrs with a lunch break. The vehicle shall be deployed as and when required even at very short notice.
14. In case of vehicles driven by drivers deployed by PAFs, PF and other relevant documents viz proof of payment of wage, statutory benefits etc must submit towards HR clearance.
15. All other terms and conditions shall be as per hiring of vehicles by NTPC Singrauli with SOW and

Terms & Conditions.

16. The vehicles are required to be deployed are as the month including Weekly off/Gazetted Holidays/Public Holidays etc. as required by EICs or user departments. Billing will be done based on number of days actual deployment of vehicles.

<u>एनटीपीसी लिमिटेड</u>

एसएसटीपीएस – शक्तिनगर

संदर्भ संख्या: एसएसटीपीएस / सीएंडएम / 2023-24 / ईओआई-01

विषय: **एनटीपीसी सिंगरौली में आवश्यकता के अनुसार वाहनों (अर्थात् बंद ए/सी बोलेरो और ए/सी कार) की हायरिंग के कार्य के लिए एनटीपीसी सिंगरौली के परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) / परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को पैनलबद्ध करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)।**

कार्य: एनटीपीसी सिंगरौली में आवश्यकतानुसार वाहनों को हायरिंग आधार पर परिनियोजित किए जाने के संबंध में।

क. कार्य का संक्षिप्त दायरा:

परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ), एनटीपीसी सिंगरौली में 12/24 घंटे की ड्यूटी के लिए बंद ए/सी बोलेरो, एसी कार आदि उपलब्ध कराएगा।

पैनल की अवधि एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा अनुमोदन और पैनल तैयार करने की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद तीन (03) वर्षों के लिए होगी, एनटीपीसी, आवश्यकता पड़ने पर, पैनल की अवधि की वैधता बढ़ा सकती है।

इस पैनल के अंतर्गत केवल ऊपर उल्लिखित वाहन ही शामिल होंगे।

वाहनों के परिनियोजन के तहत कार्य का संक्षिप्त दायरा, सिंगरौली (मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र) के 100 किलोमीटर के भीतर अवस्थित संयंत्र, टाउनशिप, अन्य निकटवर्ती स्टेशनों के उपयोग के लिए होगा। कभी-कभी वाहनों को एनटीपीसी (सिंगरौली परियोजना प्रमुख) के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बाहरी कार्यों के लिए भी परिनियोजित किया जा सकता है।

क्र.सं.	आवश्यकता का नाम	मॉडल/ब्रांड	विनिर्माता	विनिर्माण/पंजीकरण का वर्ष	लागू दरें और नियम एवं शर्तें
1.	बंद ए/सी जीप की हायरिंग	बोलेरो (एसी)	महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड	वाहन के एवार्ड के लिए सहमति की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए	अनुलग्नक-I देखें
2.	कार की हायरिंग	स्विफ्ट डिजायर टूर (एस)	मारुति,	वाहन के एवार्ड के लिए सहमति की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए	अनुलग्नक-II देखें
		अमेज	होंडा		

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ विशिष्ट वाहन प्रदान करने की इच्छा के लिए ईओआई आवेदन में अपनी सहमति प्रदान की जाएगी। ईओआई के आवेदन में सहमति मिलने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस आवेदक ने किसी विशेष प्रकार के वाहन के लिए सहमति नहीं दी है, उस पर उस विशेष वाहन के एवार्ड के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

सिंगरौली के पात्र परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को ईओआई दस्तावेज़ में यथाउल्लिखित सम्पूर्ण दस्तावेज़ के साथ इस ईओआई के तहत अपने आवेदन के माध्यम से भाग लेना होगा। ऐसा / ऐसी आवेदक, जो इस ईओआई के तहत जीईपीएनआईसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने की निर्धारित तिथि के भीतर अपना आवेदन जमा करता/करती है, केवल उसके आवेदन पर ही मूल्यांकन विचार किया जाएगा और मूल्यांकन के आधार पर, उसके आवेदन पर पैनल में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा।

आवेदक का नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों, जो ईओआई दस्तावेज़ में मांगे गए है, में एक समान होना चाहिए।

आवेदक द्वारा आवेदन में उचित रूप से घोषणा दी जाएगी, ईओआई आवेदन जमा करने के बाद आवेदन में की गई घोषणा में पैनल में बने रहने की अवधि तक किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जीईपीएनआईसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 02.04.2024 अपराह्न 15:30 बजे है।

कार्य के निष्पादन के दौरान, यदि पैनलबद्ध पीएएफ आवेदक को संविदा एवार्ड की जाती है, तो उसे ऊपर उल्लिखित विशेष प्रकार के वाहन के लिए लागू एनटीपीसी जीसीसी, एससीसी और कार्य का दायरा, बीओक्यू, नियम और शर्तों का पालन करना होगा।

विशेष प्रकार के वाहन के लिए लागू दरें तथा नियम और शर्तें ईओआई दस्तावेज़ के साथ संदर्भ हेतु प्रदान की गई हैं। (अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II)

ख. पैनल में शामिल होने के लिए मानदंड: वाहनों की हायरिंग के कार्य के लिए पैनल में शामिल होने के लिए केवल ऐसा / ऐसी आवेदक पात्र है, जो एनटीपीसी सिंगरौली का परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) / परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) है और उसे आवेदन के साथ पीएपी/पीएएफ मानदंडों की पूर्ति के संबंध में अपेक्षित सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे। **आवेदक की पीएपी/पीएएफ स्थिति को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक विवरण और दस्तावेज:**

1. आवेदक का नाम।
2. एनटीपीसी एसएसटीपीएस, शक्तिनगर के विस्थापित परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) के साथ आवेदक का संबंध। पीएपी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, आवेदक को अपने ईओआई आवेदन के साथ साक्ष्य के तौर पर तहसीलदार द्वारा प्रमाणित वंशवृक्ष (फैमिली ट्री) की एक प्रति जमा करनी होगी।
3. पीएपी / पीएएफ के नाम पर भूमि/घर का विवरण, जो एनटीपीसी सिंगरौली द्वारा अधिग्रहित किया गया था (अर्थात् उस गांव का नाम जहां भूमि/घर स्थित था, एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित भूमि का एकड़ में क्षेत्रफल, अधिग्रहण का वर्ष, राजस्व विभाग से भूमि रिकॉर्ड, एनटीपीसी आदि द्वारा अधिग्रहण के समय भू-स्वामी)
4. अधिग्रहण के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य की एक प्रति।
5. केवल व्यक्तिगत पीएपी/पीएएफ ही पैनल में शामिल होने के पात्र हैं। पीएपी/पीएएफ की समिति/व्यक्तियों के समूह द्वारा वाहनों की हायरिंग के संबंध में प्रस्तुत किए गए किसी भी आवेदन पर मूल्यांकन करने और पैनलबद्ध के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
6. यदि आवेदक वर्तमान एनटीपीसी कर्मचारी का आश्रित है, जो एनटीपीसी सिंगरौली का पीएएफ भी है, तो ऐसे आवेदक और उसके आश्रितों को पैनलबद्ध करने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई उपरोक्त घोषणा और सहायक दस्तावेजों को एनटीपीसी में उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ सत्यापित किया जाएगा। उपरोक्त दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर, एनटीपीसी प्राथमिकता सूची में आगे विचार करने के लिए पीएपी/पीएएफ की स्थिति का मूल्यांकन करेगा।

ग. पीएपी/पीएएफ की प्रमाणिकता के बाद पीएपी/पीएएफ की प्राथमिकता सूची को अंतिम रूप देने के लिए मानदंड जैसा कि ऊपर खंड 'ख' में उल्लेख किया गया है:

परिनियोजन के लिए पीएएफ द्वारा स्वयं चलाए जाने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि, पीएएफ स्वयं वाहन चलाने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तभी वाहन सहित चालक का विकल्प चुना जाएगा। उपर्युक्त खंड 'ख' के मानदंडों के अनुसार पहले से ही प्रमाणित पीएपी/पीएएफ का प्राथमिकता सूची को अंतिम रूप देने के लिए आगे उल्लिखित मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा:

i. श्रेणी-क के रूप में माने गए (भूमि + होमस्टेड) विस्थापितों को पहली प्राथमिकता (अधिग्रहीत भूमि के एकड़ के आधार पर वेटेज) माना जाएगा।

ii. होमस्टेड विस्थापितों को दूसरी प्राथमिकता माना जाएगा।

iii. भूमि विस्थापितों को तीसरी प्राथमिकता (अधिग्रहीत भूमि के एकड़ के आधार पर वेटेज) माना जाएगा।

iv. वाहन आवेदक, जो परियोजना/स्टेशन द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के माध्यम से नहीं जुड़ा है, को ऊपरोक्त उल्लिखित i, ii और iii में प्राथमिकता के अध्यधीन वाहन की तैनाती के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

v. हालाँकि, यदि पीएपी/पीएएफ एक ही श्रेणी में आता है, तो प्राथमिकता पैन/डीएल/आधार कार्ड/10वीं प्रमाण पत्र के अनुसार वाहन स्वामी की जन्म तिथि के अनुसार होगी, अधिक जन्म तिथि (सबसे अधिक आयु के स्वामी) को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदक जो पहले से ही चल रही संविदा से जुड़ा हुआ है, उसके नाम पर वर्तमान में जारी संविदा करार की समाप्ति के बाद ही विषयगत पैनल के सापेक्ष किसी भी संविदा के एवार्ड के लिए विचार किया जाएगा।

vi. यह पैनल एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा पैनल के अनुमोदन की तारीख से तीन (03) वर्षों के लिए होगा और पैनल की अधिसूचना जारी होने पर, पैनल की अवधि के दौरान स्टेशन/परियोजनाओं पर वाहन की हायरिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होगा। एनटीपीसी, आवश्यकता पड़ने पर, पैनल की अवधि की वैधता बढ़ा सकता है।

vii. जिस पीएएफ को आवश्यकता के समय वाहन की हायरिंग की संविदा दी गई है, उसे सबसे कम प्राथमिकता दी जाएगी।

viii. यदि आवेदक एनटीपीसी का पूर्व कर्मचारी है और एनटीपीसी सिंगरौली का पीएएफ है, तो ऐसे आवेदक और उसके आश्रितों को पैनल में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है और पीएएफ की प्राथमिकता सूची में भी विचार किया जा सकता है।

ix. यदि आवेदक वर्तमान एनटीपीसी कर्मचारी का आश्रित है, जो एनटीपीसी सिंगरौली का पीएएफ भी है, तो ऐसे आवेदक और उसके आश्रितों को पीएएफ की प्राथमिकता सूची में विचार नहीं किया जा सकता है।

x. यदि, किसी भूमि और/या होमस्टेड विस्थापितों के एक से अधिक पीएएफ और एक से अधिक आश्रित आवेदकों ने उपरोक्त पैनल में अपना आवेदन जमा किया है, तो अधिक आयु के आवेदकों (आयु कारक के आधार पर) को पीएएफ प्राथमिकता सूची में वरिष्ठ माना जाएगा।

xi. ऐसे मामलों के लिए, जहां एक ही भूमि और/या होमस्टेड विस्थापितों से एक से अधिक पीएएफ और उनके आश्रित आवेदकों को उपरोक्त ईओआई के सापेक्ष वाहनों की हायरिंग के लिए पैनलबद्ध किया गया है, ऐसे मामले में, सबसे पहले, किसी भूमि से सबसे अधिक आयु के पीएएफ का नाम और/ या एक ही परिवार के होमस्टेड विस्थापितों को पीएएफ प्राथमिकता सूची में वरीयता दी जाएगी। इसके बाद, उनके परिवार के दूसरे सबसे अधिक आयु के सदस्य, जिसने ईओआई के तहत आवेदन किया है, के नाम पर प्राथमिकता सूची में विचार किया जाएगा।

घ. एवार्ड के लिए विशेष आवश्यकता के समय पैनलबद्ध पीएपी/पीएएफ के चयन मानदंड:

एनटीपीसी की आवश्यकता के अनुसार, पैनलबद्ध पीएएफ को वाहन के परिनियोजन के लिए उसकी सहमति देने के लिए उसकी प्राथमिकता के अनुसार सूचित किया जाएगा। प्राथमिकता सूची के अनुसार पीएपी/पीएएफ को सी एंड एम विभाग द्वारा ईमेल के माध्यम से वाहन उपलब्ध कराने के लिए अपनी पुष्टि प्रस्तुत करने

के लिए 07 कार्य दिवसों का समय दिया जाएगा, प्रदान की गई समय सीमा तक उपरोक्त पुष्टि प्रदान करने में विफल रहने पर, अगले पीएपी पर एवार्ड को संसाधित करने के लिए उसकी पुष्टि हेतु विचार किया जाएगा। इसके बाद उपरोक्त प्रक्रिया पुष्टि प्राप्त होने और विशेष वाहन आवश्यकता के लिए एवार्ड दिए जाने तक जारी रहेगी। जिस पीएएफ/पीएपी ने निर्धारित समय में अपनी सहमति नहीं दी है, उस पर इस पैनल के तहत किसी अन्य वाहन की हायरिंग की आवश्यकता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

आवश्यकता के समय एवार्ड के लिए पैनलबद्ध पीएएफ के लिए निम्नलिखित चयन मानदंड लागू होंगे:

i. ईओआई के तहत केवल पैनलबद्ध पीएएफ/पीएपी को ही पैनल की अवधि के दौरान वाहन की हायरिंग के लिए विचार किया जाएगा।

ii. सूचीबद्ध पीएएफ/पीएपी को प्राथमिकता सूची के अनुसार और विशेष वाहन प्रदान करने की इच्छा के लिए ईओआई आवेदन में प्रदान की गई सहमति के अनुसार किसी विशेष आवश्यकता के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

iii. इस खंड 'घ' में उल्लिखित सभी चयन और एवार्ड मानदंडों को पूरा करने पर ही पीएपी/पीएएफ पर एवार्ड के लिए विचार किया जाएगा।

iv. जिस आवेदक ने किसी विशेष प्रकार के वाहन के लिए सहमति नहीं दी है, उस प्रकार के वाहन के एवार्ड के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

v. यदि, किसी पैनलबद्ध आवेदक को एनटीपीसी की आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष प्रकार के वाहन के लिए पीएएफ प्राथमिकता सूची के अनुसार कोई वाहन संविदा प्रदान की गई है, तो ऐसे मामले में, अन्य वाहन आवश्यकता के लिए, उसकी पात्रता केवल एवार्ड की गई वर्तमान वाहन संविदा के पूरा होने के बाद एवं प्राथमिकता सूची में उसकी पात्रता अनुसार ही होगी।

vi. एवार्ड, पैनलबद्धता की प्राथमिकता सूची के अनुसार दिया जाएगा। प्राथमिकता सूची के अनुसार पीएएफ के एक परिवार से एवार्ड के लिए पैनलबद्ध केवल एक पीएएफ पर विचार किया जाएगा।

vii. पात्र आवेदकों को संविदा एवार्ड करने से पहले एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है कि उन्हें एनटीपीसी सिंगरौली से एक समय में कोई अन्य आर्थिक अवसर नहीं मिल रहा है और यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि आवेदक को संविदा अवधि के दौरान दोहरा लाभ मिल रहा है, तो वाहन की हायरिंग के लिए दी गई संविदा को समाप्त किया जा सकता है।

viii. यदि, किसी पैनलबद्ध आवेदक को पीएएफ प्राथमिकता सूची के अनुसार कोई वाहन संविदा प्रदान की गई है, तो संविदा को पूरा न किए जाने की स्थिति का निपटारा एनटीपीसी वेबसाइट (https://ntpctender.ntpc.co.in) पर उपलब्ध प्रतिबंध नीति के अनुसार किया जाएगा।

ix. यदि किसी पीएएफ को पहले से ही इस पैनल में या पिछली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दीर्घकालिक वाहन संविदा एवार्ड की गई है और पैनल अवधि के दौरान वाहन संविदा पूरी कर ली गई है, तो उसकी प्राथमिकता केवल उन पीएएफ की प्राथमिकता के बाद होगी, जिन्हें दीर्घकालिक वाहन संविदा एवार्ड नहीं की गई है।

x. परिनियोजन के लिए पीएएफ द्वारा स्वयं चलाए जाने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि, पीएएफ स्वयं वाहन चलाने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तभी वाहन सहित चालक का विकल्प चुना जाएगा।

किसी विवाद की स्थिति में अँग्रेजी पाठ मान्य होगा|

अनुलग्नक - I

लागू दरें और नियम एवं शर्तें:

लागू दरें (रुपये) निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मामला 1: पीएएफ सदस्यों द्वारा स्वयं चलाए जाने वाले वाहन		मामला 2: पीएएफ सदस्यों द्वारा स्वयं न चलाए जाने वाले वाहन		मामला 3: ऐसा वाहन, जो पीएएफ और ड्राइवर द्वारा चलाए जाते हैं	
	12 घंटे ड्यूटी के लिए दर (रुपए)	24 घंटे ड्यूटी के लिए दर (रुपए)	12 घंटे ड्यूटी के लिए दर (रुपए)	24 घंटे ड्यूटी के लिए दर (रुपए)	12 घंटे ड्यूटी के लिए दर (रुपए)	24 घंटे ड्यूटी के लिए दर (रुपए)
पहला वर्ष	1088	1783	1,468	2551		2171
दूसरा वर्ष	1110	1840	1,509	2647		2249
तीसरा वर्ष	1135	1901	1,554	2749		2330
चौथा वर्ष	1162	1966	1,602	2857		2417
पांचवाँ वर्ष	1191	2036	1,653	2972		2510

अन्य नियम एवं शर्तें: -

- परिनियोजित कार एसी कार, पेट्रोल संस्करण होगी। वाहन का मॉडल वाहन के एवार्ड के लिए सहमति की अधिसूचना की तारीख से 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- परिनियोजित वाहन पीएएफ के स्वामित्व वाला होगा और व्यावसायिक रूप से पंजीकृत होगा।
- ड्राईवर को भी कवर करते हुए वाहन का व्यापक वाणिज्यिक बीमा, नए वाहन के लिए टैक्सी परमिट, प्रदूषण प्रमाणपत्र शुल्क, फिटनेस प्रमाणपत्र शुल्क का भुगतान, एनटीपीसी द्वारा दूसरे वर्ष से रसीदें प्रस्तुत करने पर वास्तविक के अनुसार किया जाएगा। हालाँकि, पीएएफ को पहले बीमा प्रीमियम शुल्क का भुगतान करना होगा और दावे का निपटान दो किस्तों (6 माह की समाप्ति के बाद) में किया जाएगा। परिनियोजन के पहले वर्ष में कोई बीमा प्रीमियम देय नहीं

होगा। वाहन के लिए आवश्यक प्रत्येक परमिट समय पर लिया जाना चाहिए और भुगतान में देरी के कारण प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान एनटीपीसी द्वारा नहीं किया जाएगा।

- पेट्रोल की लागत की प्रतिपूर्ति पेट्रोल की प्रचलित दर पर, कार (एसी) के संबंध में प्रति 16 किमी के लिए एक लीटर के आधार पर की जाएगी। पेट्रोल दरों का भुगतान, ईआईसी के प्रमाणीकरण पर बिलिंग माह के दौरान शक्तिनगर में प्रचलित औसत दर के आधार पर किया जाएगा।
- वैधानिक प्रतिपूर्ति के रूप में ईंधन प्रतिपूर्ति शुल्क पर कोई एसडी नहीं काटा जाएगा।
- ईआईसी द्वारा प्रमाणीकरण के अध्यधीन, 12 घंटे की ड्यूटी वाले वाहनों के मामले में परिनियोजन के अतिरिक्त घंटों के लिए समयोपरि (ओटी) शुल्क (प्रति घंटा न्यूनतम मजदूरी की दोगुनी दर पर) देय होगा। 24 घंटे ड्यूटी करने वाले वाहनों के मामले में कोई ओटी शुल्क लागू नहीं होगा।
- बाहरी ड्यूटी के मामले में, रात्रि विश्राम के साथ या उसके बिना एक तरफ से 100 किमी से अधिक की यात्रा के लिए प्रति यात्रा 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
- ईआईसी द्वारा प्रमाणीकरण के अध्यधीन, 12 घंटे की ड्यूटी वाले वाहनों के लिए प्रति रात 200 रुपये की दर से रात्रि विश्राम शुल्क का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। ऐसे मामले में समयोपरि (ओटी) शुल्क देय नहीं होगा। 24 घंटे ड्यूटी करने वाले वाहनों के मामले में रात्रि विश्राम शुल्क लागू नहीं होगा।
- ईआईसी को अग्रिम सूचना देकर, 24 घंटे के आधार पर परिनियोजित वाहन के लिए माह में एक भुगतानसहित अवकाश और 12 घंटे के आधार पर परिनियोजित वाहन के लिए दो माह में एक भुगतानसहित अवकाश के रूप में वाहन की सर्विसिंग की अनुमति दी जाएगी।
- पीएएफ एक क्षतिपूर्ति बांड देंगे, जो संविदा के निष्पादन से उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी के लिए एनटीपीसी को क्षतिपूर्ति करने के लिए होंगे।
- पीएएफ द्वारा तैनात ड्राइवरों द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों के मामले में, पीएएफ को एचआर मंजूरी के लिए आवश्यक दस्तावेज (जैसे वेतन भुगतान का प्रमाण, वैधानिक लाभ आदि) जमा कराने होंगे।

अनुलग्नक - II

लागू दरें और नियम एवं शर्तें:

लागू दरें (रुपए) निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	**मामला 1: पीएएफ सदस्यों द्वारा स्वयं चलाए जाने वाले वाहन**		**मामला 2: पीएएफ सदस्यों द्वारा स्वयं न चलाए जाने वाले वाहन**		**मामला 3: ऐसा वाहन, जो पीएएफ और ड्राइवर द्वारा चलाए जाते हैं**		**दर की वैधता की तारीख**
	12 घंटे ड्यूटी के लिए दर (रुपए)	**24 घंटे ड्यूटी के लिए दर (रुपए)**	**12 घंटे ड्यूटी के लिए दर (रुपए)**	**24 घंटे ड्यूटी के लिए दर (रुपए)**	**12 घंटे ड्यूटी के लिए दर (रुपए)**	**24 घंटे ड्यूटी के लिए दर (रुपए)**	
पहला वर्ष	1248	1943	1566	2638		2271	31.03.2024
दूसरा वर्ष	1265	1995	1598	2725		2339	31.03.2025
तीसरा वर्ष	1284	2051	1634	2817		2413	31.03.2026
चौथा वर्ष	1306	2110	1673	2916		2491	31.03.2027
पांचवाँ वर्ष	1330	2175	1715	3021		2575	31.03.2028

अन्य नियम एवं शर्तें: -

1. परिनियोजित बंद बोलेरो एसी वाली, डीजल चालित होगी और वाहन का मॉडल वाहन के एवार्ड के लिए सहमति की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
2. परिनियोजित सभी वाहन पहले तो पीएएफ के स्वामित्व वाले होंगे और संबंधित प्राधिकरण में व्यावसायिक रूप से पंजीकृत होंगे।
3. ड्राईवर को भी कवर करते हुए वाहन का व्यापक वाणिज्यिक बीमा, नए वाहन के लिए टैक्सी परमिट, प्रदूषण प्रमाणपत्र शुल्क, फिटनेस प्रमाणपत्र शुल्क का भुगतान, एनटीपीसी द्वारा दूसरे वर्ष से रसीदें प्रस्तुत करने पर वास्तविक के अनुसार किया जाएगा। हालाँकि, पीएएफ को पहले

बीमा प्रीमियम शुल्क का भुगतान करना होगा और दावे का निपटान दो किस्तों (6 माह की समाप्ति के बाद) में किया जाएगा। परिनियोजन के पहले वर्ष में कोई बीमा प्रीमियम देय नहीं होगा। वाहन के लिए आवश्यक प्रत्येक परमिट समय पर लिया जाना चाहिए और भुगतान में देरी के कारण प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान एनटीपीसी द्वारा नहीं किया जाएगा। ड्राईवर, वाणिज्यिक लाइसेंसधारक होना चाहिए।

4. ईंधन (डीजल) की लागत की व्यवस्था वाहन स्वामी द्वारा की जाएगी और इसकी प्रतिपूर्ति प्रचलित दर पर, प्रति 12 किमी के लिए एक लीटर के आधार पर की जाएगी। डीजल की दरों का भुगतान, ईआईसी के प्रमाणीकरण पर बिलिंग माह के दौरान शक्तिनगर में प्रचलित औसत दर के आधार पर किया जाएगा।
5. परिनियोजित वाहनों में कम-से-कम अग्रलिखित एसेसरीज (फ्रंट एंड रियर बुल बार, सीट कवर, व्हील कवर, मैटिंग, डोर वाइजर, स्पाइलर, स्काई रैक और बॉडी कवर) होनी चाहिएं।
6. वैधानिक प्रतिपूर्ति के रूप में ईंधन प्रतिपूर्ति शुल्क पर कोई एसडी नहीं काटा जाएगा।
7. ईआईसी द्वारा प्रमाणीकरण के अध्यधीन, 12 घंटे की ड्यूटी वाले वाहनों के मामले में परिनियोजन के अतिरिक्त घंटों के लिए समयोपरि (ओटी) शुल्क (प्रति घंटा न्यूनतम मजदूरी दर की दोगुनी दर पर) देय होगा। 24 घंटे ड्यूटी करने वाले वाहनों के मामले में कोई ओटी शुल्क लागू नहीं होगा।
8. बाहरी ड्यूटी के मामले में, रात्रि विश्राम के साथ या उसके बिना एक तरफ से 100 किमी से अधिक की यात्रा के लिए प्रति यात्रा 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देय होगा। बाह्य ड्यूटी के लिए वाहन का उपयोग विगत परिपाटियों के अनुसार एनटीपीसी के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाएगा।
9. ईआईसी द्वारा प्रमाणीकरण के अध्यधीन, 12 घंटे की ड्यूटी वाले वाहनों के लिए प्रति रात 200 रुपये की दर से रात्रि विश्राम शुल्क का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। ऐसे मामले में समयोपरि (ओटी) शुल्क देय नहीं होगा। 24 घंटे ड्यूटी करने वाले वाहनों के मामले में रात्रि विश्राम शुल्क लागू नहीं होगा।
10. 24 घंटे के आधार पर परिनियोजित वाहनों के लिए, वाहन स्वामी के द्वारा 12-12 घंटे के अंतराल पर वाहन चलाने के लिए 02(दो) ड्राइवरों को तैनात किया जाना चाहिए।
11. ईआईसी को अग्रिम सूचना देकर, 24 घंटे के आधार पर परिनियोजित वाहन के लिए माह में एक भुगतानसहित अवकाश और 12 घंटे के आधार पर परिनियोजित वाहन के लिए दो माह में एक भुगतानसहित अवकाश के रूप में वाहन की सर्विसिंग की अनुमति दी जाएगी।
12. पीएएफ एक क्षतिपूर्ति बांड देंगे, जो संविदा के निष्पादन से उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी के लिए एनटीपीसी को क्षतिपूर्ति करने के लिए होंगे।
13. किसी दिन में कार्य-घंटे 08.00 बजे प्रातः से 20.00 बजे रात्रि तक 12 घंटे के लिए होंगे, जिसमें भोजन अंतराल भी होगा। वाहन को आवश्यकता पड़ने पर, और यहां तक कि तत्काल सूचना के

आधार पर भी परिनियोजित किया जाएगा।

14. पीएएफ द्वारा तैनात ड्राइवरों द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों के मामले में, पीएएफ को एचआर मंजूरी के लिए पीएफ एवं अन्य संगत दस्तावेज (जैसे वेतन भुगतान का प्रमाण, वैधानिक लाभ आदि) जमा कराने होंगे।
15. अन्य सभी नियम एवं शर्तें, एसओडब्ल्यू और नियम एवं शर्तों के साथ एनटीपीसी सिंगरौली द्वारा वाहनों की हायरिंग के अनुसार होंगी।
16. वाहनों को ईआईसी या उपयोगकर्ता विभागों द्वारा आवश्यक साप्ताहिक अवकाश/राजपत्रित अवकाश/सार्वजनिक अवकाश आदि सहित माह के अनुसार परिनियोजित किया जाना आवश्यक है। बिलिंग, वाहनों के वास्तविक परिनियोजन के दिनों की संख्या के आधार पर की जाएगी।

<u>**Schedule-I**</u>

<u>APPLICATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)</u>

<u>For</u> Empanelment of PAP/PAF OF NTPC SINGRAULI for THE WORK OF "Deployment / Hiring of Vehicles as per the requirements at NTPC Shaktinagar and as mentioned in the Document for Expression of Interest "

Ref. No.: SSTPS/C&M/2023-24/EOI-01 **Date**

To,

The AGM (C&M)/Sr. Manager

NTPC Ltd, Singrauli Super Thermal Power Station,
Administrative Building, C&M office,1st Floor,
Shaktinagar, Uttar Pradesh, INDIA 231222

Dear Sir,

As an applicant, I confirm that I have read the complete EOI Document and understood all the terms and condition. By submission of this Application of EOI, I confirm my participation in the Empanelment process through this Expression of Interest for the work "Hiring of vehicles as per requirements [i.e. Mahindra & Mahindra- Closed A/c Bolero and Maruti-Swift Dzire Tour (s)/ Honda -Amaze (Petrol A/c Car)] for deployment at NTPC Singrauli". I also confirm if my name as Applicant is included by NTPC in empanelment, I will execute the work whenever notified to us by NTPC/SSTPS.

With reference to your invitation for EOI…………………. dated……………, I am furnishing herewith all the required details and supporting document as mentioned below:

Schedule-I

APPLICATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

For Empanelment of PAP/PAF OF NTPC SINGRAULI for THE WORK OF "Deployment / Hiring of Vehicles as per the requirements at NTPC Shaktinagar and as mentioned in the Document for Expression of Interest "

Sl. No.	Particulars	Details	Supporting Document Submitted by Applicant (wherever applicable)
1.	Name of the Applicant (Name as per the Adhar & PAN card shall match) (Applicant shall enclose copy of PAN Card and Adhar Card)	………………………………………………..	
2.	Date of Birth (Applicant shall furnish date of birth in support of establishment of age) Supporting Document: (Copy of any below mentioned document) 1. Birth Certificate issued by the Registrar of Births and Deaths or the Municipal Corporation or any other prescribed authority, whosoever has been empowered under the Registration of Birth and Deaths Act, 1969 to register the birth of a child born in India) 2. Election Photo Identity Card (EPIC) issued by the Election Commission of India. 3. Transfer/School leaving/Matriculation Certificate issued by the school last attended/recognized educational board 4. Election Photo Identity Card (EPIC) issued by the Election Commission of India. 5. PAN Card issued by the Income Tax Department 6. Driving License issued by the Transport department of concerned state Government 7. Passport	………………….(DD/MM/YYY)	…………………

APPLICATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

For Empanelment of PAP/PAF OF NTPC SINGRAULI for THE WORK OF "Deployment / Hiring of Vehicles as per the requirements at NTPC Shaktinagar and as mentioned in the Document for Expression of Interest "

Sl. No.	Particulars	Details	Supporting Document Submitted by Applicant (wherever applicable)
3.	Father's/ Husband Name (Applicant has to furnish supporting documents in support of establishment of relationship) (Supporting Document: copy of Adhar Card/ Birth Certificate/ Voter ID Card/ PAN Card/ Driving license)	………………………………………………..	
4.	Contact Address: (Supporting Document: copy of Adhar Card/ latest Electricity Bill/ Voter ID Card Card/ Photo Passbook of running bank account/ Income Tax assessment Order/ Proof of Gas connection/ Passport Copy/ Rent agreement)	…………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………	
5.	Contact No. of applicant	Mobile No……………………………….. Alternate Mobile No. …………………… (if any)	
6.	Contact email address of Applicant	………………………………..	
7.	Name of the PAP whose Land has been acquired by NTPC SSTPS (Supporting Document: Govt. /NTPC records in support of their acquisition of land / Homestead	……………………………………………..	

APPLICATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

For Empanelment of PAP/PAF OF NTPC SINGRAULI for THE WORK OF "Deployment / Hiring of Vehicles as per the requirements at NTPC Shaktinagar and as mentioned in the Document for Expression of Interest "

Sl. No.	Particulars	Details	Supporting Document Submitted by Applicant (wherever applicable)
	outsee by NTPC/SSTPS Shaktinagar)		
8.	Relationship of the Applicant with the PAP (as mentioned above at Sl. No.7) (Supporting Document: copy of family / Family Tree certified by Tehshildar)	……………………………………………	
9.	Details of land/ homestead in the name of PAP which was acquired by NTPC Singrauli (i.e. Khasra/ Plot No., Name of village the land/house was located, area of the land in acreage acquired by NTPC, year of acquisition, land record from revenue department, owner of the land at time of acquisition by NTPC etc.)	Details of Acquired Land & Homestead**(as applicable)** **Details of Land:** Khasra/ Plot No.: …………… Village.: ………………… District: …………………… Year of acquisition……………… Area of the Land ……(acre) **Details of Homestead** Khasra/ Plot No.: …………… Village.: ………………… District: …………………… Year of acquisition………………	

APPLICATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

For Empanelment of PAP/PAF OF NTPC SINGRAULI for THE WORK OF "Deployment / Hiring of Vehicles as per the requirements at NTPC Shaktinagar and as mentioned in the Document for Expression of Interest "

Sl. No.	Particulars	Details	Supporting Document Submitted by Applicant (wherever applicable)
		Area of the Land ……(acre)	
10.	Willingness to undertake to deploy the particular type of vehicle during period of empanelment.	1) Hiring of Closed A/C Bolero (Yes/NO): 2) Hiring of A/C CAR (Yes/NO): (declare Yes or No)	
11.	Declaration to Drive the vehicle(s) by PAP/ PAF himself or through Driver (Declare Yes/ No for the consent): (Preference will be given for PAF driven vehicles for deployment. If, PAF driven vehicles not available, then only option of Driver with Vehicle shall be opted.)	Shall be Driven by PAF member himself (Yes/No): Shall be Driven by Driver (Yes/No):	

I have also gone through the GCC, understood that the above Expression of interest.

I understood that during execution of the work, if the contract is awarded in my name as PAF after empanelment and as

APPLICATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

For Empanelment of PAP/PAF OF NTPC SINGRAULI for THE WORK OF "Deployment / Hiring of Vehicles as per the requirements at NTPC Shaktinagar and as mentioned in the Document for Expression of Interest "

per the requirement, I shall comply all the applicable contractual document of NTPC i.e. GCC, SCC and Scope of work, BOQ, Terms and conditions for the particular type of Vehicle as mentioned. I have also read the applicable Rates and Terms and conditions for particular type of Vehicle which have been provided along with the EOI document for reference (Annexure -I and Annexure- II).

I declare that my Name, Date of Birth, Father's/Husband's Name are matching in all the requisite supporting documents.

I hereby declare that the details given above and the supporting document in respect of the details furnished by me along with this application is true to the best of my knowledge.

Yours faithfully,

(Signature of the applicant)

Name of the Applicant…………………………..

(This application is required to be submitted with all supporting document as mentioned above in the Online platform GePNIC against the EOI)

अनुसूची-I

(ईओआई) रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन

एनटीपीसी सिंगरौली में आवश्यकताओं के अनुसार और रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के दस्तावेज़ में यथाउल्लिखित वाहनों के परिनियोजन / हायरिंग कार्य के लिए एनटीपीसी सिंगरौली के पीएपी/पीएएफ के पैनल में शामिल होने के लिए

संदर्भ संख्या: एसएसटीपीएस / सीएंडएम / 2023-24 / ईओआई-01 **दिनांक**

सेवा में,

अपर महा प्रबंधक (सीएंडएम) / वरिष्ठ प्रबंधक
एनटीपीसी लिमिटेड, सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन,
प्रशासनिक भवन, सी एंड एम कार्यालय, प्रथम तल,
शक्तिनगर , उत्तर प्रदेश, भारत 231222

महोदय,

मैं, एक आवेदक के रूप में, पुष्टि करता/करती हूं कि मैंने सम्पूर्ण ईओआई दस्तावेज़ पढ़ लिया है और सभी नियम और शर्तों को समझ लिया है। ईओआई के इस आवेदन को प्रस्तुत करके, मैं आवश्यकताओं के अनुसार एनटीपीसी सिंगरौली में परिनियोजन हेतु वाहनों [अर्थात् महिंद्रा एंड महिंद्रा- बंद ए/सी बोलेरो और मारुति-स्विफ्ट डिजायर टूर (एस)/होंडा-अमेज़ (पेट्रोल ए/सी कार)] की हायरिंग के कार्य के लिए इस रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी की पुष्टि करता/करती हूं। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि यदि आवेदक के रूप में मेरा नाम एनटीपीसी द्वारा पैनल में शामिल किया जाता है, तो एनटीपीसी सिंगरौली द्वारा सूचित किए जाने पर मैं कार्य निष्पादित करूंगा/करूंगी।

अनुसूची-I

(ईओआई) रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन

एनटीपीसी सिंगरौली में आवश्यकताओं के अनुसार और रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के दस्तावेज़ में यथाउल्लिखित वाहनों के परिनियोजन / हायरिंग कार्य के लिए एनटीपीसी सिंगरौली के पीएपी/पीएएफ के पैनल में शामिल होने के लिए

ईओआई .... दिनांक................., के लिए आपके आमंत्रण के संदर्भ में, मैं नीचे वर्णित सभी आवश्यक विवरण और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा/रही हूं:

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा	आवेदक द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेज़ (जहाँ लागू हो)
1.	**आवेदक का नाम** (आधार और पैन कार्ड के अनुसार नाम मेल खाना चाहिए) (आवेदक को पैन कार्ड और आधार कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी)	....	
2.	**जन्म की तारीख** (आवेदक को आयु की प्रमाणिकता के समर्थन में जन्मतिथि प्रस्तुत करनी होगी) सहायक दस्तावेज़: (नीचे उल्लिखित किसी भी दस्तावेज़ की प्रति) 1. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम या किसी अन्य निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जिसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत भारत में जन्मे बच्चे के जन्म को पंजीकृत करने का अधिकार दिया गया है) 2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी)। 3. अंतिम स्कूल / मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी स्थानांतरण/स्कूल छोड़ने/मैट्रिकुलेशन का प्रमाणपत्र	.....................(दिन/माह/वर्ष)	....

(ईओआई) रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन

एनटीपीसी सिंगरौली में आवश्यकताओं के अनुसार और रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के दस्तावेज़ में यथाउल्लिखित वाहनों के परिनियोजन / हायरिंग कार्य के लिए एनटीपीसी सिंगरौली के पीएपी/पीएएफ के पैनल में शामिल होने के लिए

क्र.सं.	**विवरण**	**ब्यौरा**	**आवेदक द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेज़ (जहाँ लागू हो)**
	4. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी)। 5. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड 6. संबंधित राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस 7. पासपोर्ट		
3.	**पिता/पति का नाम** (आवेदक को संबंध स्थापित करने के समर्थन में सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे) (सहायक दस्तावेज़: आधार कार्ड / जन्म प्रमाण पत्र / मतदाता पहचान पत्र / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति)	……………………………………….	
4.	**संपर्क पता:** (सहायक दस्तावेज: आधार कार्ड/नवीनतम बिजली बिल/मतदाता पहचान पत्र/चालू बैंक खाते की फोटोयुक्त पासबुक/आयकर निर्धारण आदेश/गैस कनेक्शन का प्रमाण/पासपोर्ट प्रति/किराया करार की प्रति।)	………………………………………. ………………………………………. ………………………………………. ………………………………………	

(ईओआई) रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन

एनटीपीसी सिंगरौली में आवश्यकताओं के अनुसार और रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के दस्तावेज़ में यथाउल्लिखित वाहनों के परिनियोजन / हायरिंग कार्य के लिए एनटीपीसी सिंगरौली के पीएपी/पीएएफ के पैनल में शामिल होने के लिए

क्र.सं.	**विवरण**	**ब्यौरा**	**आवेदक द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेज़ (जहाँ लागू हो)**
5.	आवेदक का संपर्क नंबर	मोबाइल नम्बर..................................... वैकल्पिक मोबाइल नंबर .... (यदि कोई)	
6.	आवेदक का संपर्क ईमेल पता	....	
7.	पीएपी का नाम जिसकी भूमि एनटीपीसी एसएसटीपीएस द्वारा अधिग्रहित की गई है (सहायक दस्तावेज़: एनटीपीसी / एसएसटीपीएस शक्तिनगर द्वारा भूमि के अधिग्रहण / होमस्टेड विस्थापितों के समर्थन में सरकारी/एनटीपीसी रिकॉर्ड)	....	
8.	पीएपी के साथ आवेदक का संबंध (जैसा कि ऊपर क्रम संख्या 7 में उल्लिखित है) (सहायक दस्तावेज़: परिवार/वंशवृक्ष की तहसीलदार द्वारा प्रमाणित प्रति)	....	
9.	पीएपी के नाम पर भूमि/घर का विवरण जो एनटीपीसी सिंगरौली द्वारा अधिग्रहित किया गया था (अर्थात खसरा/प्लॉट नंबर, उस गांव का	अधिग्रहीत भूमि एवं होमस्टेड का विवरण **(यथालागू)** **भूमि का विवरण:**	

(ईओआई) रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन

एनटीपीसी सिंगरौली में आवश्यकताओं के अनुसार और रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के दस्तावेज़ में यथाउल्लिखित वाहनों के परिनियोजन / हायरिंग कार्य के लिए एनटीपीसी सिंगरौली के पीएपी/पीएएफ के पैनल में शामिल होने के लिए

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा	आवेदक द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेज़ (जहाँ लागू हो)
	नाम जहां भूमि/घर स्थित था, एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित भूमि का एकड़ में क्षेत्रफल, अधिग्रहण का वर्ष, राजस्व विभाग से भूमि रिकॉर्ड, एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहण के समय भू-स्वामी आदि)	खसरा/प्लॉट नंबर: .... गाँव: .... ज़िला: .... अधिग्रहण का वर्ष................. भूमि का क्षेत्रफल......(एकड़) **होमस्टेड का विवरण** खसरा/प्लॉट नंबर: .... गाँव: .... ज़िला: .... अधिग्रहण का वर्ष................. भूमि का क्षेत्रफल ......(एकड़)	
10.	**पैनल की अवधि के दौरान विशेष प्रकार के वाहन को परिनियोजित करने की इच्छा**	1) **बंद ए/सी बोलेरो की हायरिंग (हाँ/नहीं):**	

(ईओआई) रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन

एनटीपीसी सिंगरौली में आवश्यकताओं के अनुसार और रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के दस्तावेज़ में यथाउल्लिखित वाहनों के परिनियोजन / हायरिंग कार्य के लिए एनटीपीसी सिंगरौली के पीएपी/पीएएफ के पैनल में शामिल होने के लिए

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा	आवेदक द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेज़ (जहाँ लागू हो)
		2) **ए/सी कार की हायरिंग (हां/नहीं):** **(हाँ या नहीं लिखें)**	
11।	**पीएपी/पीएएफ द्वारा स्वयं या चालक के माध्यम से वाहन चलाने की घोषणा (सहमति के लिए हां/नहीं लिखें) :** (परिनियोजन के लिए पीएएफ द्वारा स्वयं चलाए जाने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि, पीएएफ स्वयं वाहन चलाने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तभी वाहन सहित चालक का विकल्प चुना जाएगा।)	**वाहन, पीएएफ सदस्य द्वारा स्वयं चलाया जाएगा (हां/नहीं):** **चालक द्वारा चलाया जाएगा (हां/नहीं):**	

मैंने जीसीसी को भी पढ़ लिया है और उपरोक्त रुचि की अभिव्यक्ति को समझ लिया है।

मैं समझता/समझती हूं कि कार्य के निष्पादन के दौरान, यदि पैनल में शामिल होने के बाद और आवश्यकता के अनुसार संविदा मेरे नाम पर पीएएफ के रूप में एवार्ड की जाती है, तो मैं एनटीपीसी के सभी लागू संविदात्मक दस्तावेजों

अनुसूची-I

(ईओआई) रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन

एनटीपीसी सिंगरौली में आवश्यकताओं के अनुसार और रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के दस्तावेज़ में यथाउल्लिखित वाहनों के परिनियोजन / हायरिंग कार्य के लिए एनटीपीसी सिंगरौली के पीएपी/पीएएफ के पैनल में शामिल होने के लिए

अर्थात् यथाउल्लिखित विशेष प्रकार के वाहन के लिए जीसीसी, एससीसी और कार्य का दायरा, बीओक्यू, नियम और शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी। मैंने विशेष प्रकार के वाहन के लिए लागू दरें और नियम एवं शर्तें भी पढ़ी हैं जो संदर्भ हेतु ईओआई दस्तावेज़ (अनुलग्नक - I और अनुलग्नक- II) के साथ प्रदान की गई हैं।

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरा नाम, जन्म तिथि, पिता/पति का नाम सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों में एकसमान है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण और इस आवेदन के साथ मेरे द्वारा दिए गए विवरण के संबंध में सहायक दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही हैं।

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम..............................

(इस आवेदन को ईओआई के सापेक्ष ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जीईपीएनआईसी में ऊपर यथाउल्लिखित सभी सहायक दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है)